



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1990/आषाढ़ 29, 1912  
No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1990/ASADHA 29, 1912

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

गृह मंत्रालय

सधिमूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1990

राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी  
के लिए प्रकाशित किया जाता है—

आदेश

का० आ० :—575(अ)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

1924G1/90

(1)

का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश अन्तर-राज्य परिषद् (संशोधन) आदेश, 1990 कहलाएगा।  
(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 में, खण्ड 2 के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु शर्त यह है कि जहां कहीं,—

- (i) किसी राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अर्घान राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई; अथवा
- (ii) जम्मू व कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अर्घान जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई,

कोई उद्घोषणा लागू है, वहां उस राज्य के राज्यपाल को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।”

नई दिल्ली,  
दिनांक 19 जुलाई, 1990

प्रार० बेंकटरामन,  
राष्ट्रपति

[फा० सं० IV/11017/3/90-सी एल प्रार]

नरेश चन्द्र, गृह सचिव

नोट—अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 28 मई, 1990 को, पृष्ठ 1 से 3 तक में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1990

The following order by the President is published for general information.

#### ORDER

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following order to amend the Inter-state Council Order, 1990, namely :—

1. (1) This order may be called the Inter-state Council (Amendment) Order, 1990.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-state Council Order, 1990, after clause 2, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that where a Proclamation,—

(i) issued by the President under article 356 of the Constitution of India in relation to any State; or

(ii) issued by the Governor of Jammu and Kashmir under section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir is in force the Governor of that State shall be invited to attend the meetings of the Council.”

NEW DELHI,  
Dated the 19th July, 1990.

R. VENKATARAMAN,  
President

[F. No. IV.11017.3.90-CSR]

NARESH CHANDRA, Home Secy.

NOTE : The Inter-state Council Order, 1990 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th May, 1990 at page 1 to 3.